

त्रिकोण त्रिकोण ही खालेपारी प्रायः नै का सहायी है। जैसे श्री-
 कल्योटीपन प्रदि पर बाद पुनर्गर्भ का शेकायेकर प्र न्यायल
 के गये थे का प्रकट उक्त सामस्त विवेका के अन्तर पर
 बदी का बाद डिन्नी होने योग्य गये पाया जाय है। इन
 आदेश है कि —

बाद बादी खानिज विषय प्रकट है। इसी प्रकार
 फर्वा डिन्नी जारी है। सर्व पक्षधारक प्रपण बहय है।
 निर्णय आद्य दिनांक 12-3-10 को गैर आर्य लिखित प्रकट
 सुल न्यायालय में सुनाया गया।



(परशुराम धामरा)

उपस्थान अधिकारी

गवर (मल्लपुर) गवर

डिक्री व मुकद्दमे इत्तादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाबदा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

पीठासीन अधिकारी : श्री परशु राम धानका आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 55/08

उन्वान

1. दीपसिंह पुत्र सरदार सुरेणसिंह जाति सिख साकिन सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर

—वादी

बनाम

1. हाकिमचन्द वल्द मोतीराम खत्री साकिन सैदवाडा पट्टी सीकरी तहसील नगर

—असल प्रति०

2. अजीतसिंह

3. रणजीतसिंह

ध्यानसिंह


पिस. सरदार सुरेणसिंह जाति सिख साकिन सीकरी तहसील नगर

—तरतीबी प्रति०

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी श्री चरणसिंह अभिभाषक मिनजानिब मुद्ई XXXXXX मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वाद-वादी खारिज किया जाता है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.3.10 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड (भरतपुर) कारी
नगर (भरतपुर) राज०